संख्याः 2—258 / 2024—हि0प्र0वि0वि0(सामान्य) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन शाखा

प्रेषित.

- 1. आचार्य सत प्रकाश बंसल, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 2. आचार्य राजेन्द्र वर्मा, माननीय प्रति कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 3. श्री हरीश जनारथा, माननीय विधायक —विधान सभा, शिमला शहरी, हि०प्र०
- 4. श्री सुरेश कुमार, माननीय विधायक —विधान सभा, भोरंज, हि०प्र० (alongwith supplementary agenda and on spot items)
- 5. प्रधान सचिव (वित्त), हि०प्र० सरकार, शिमला-2
- 6. 'सचिव (शिक्षा), हि०प्र० सरकार, शिमला—2 (alongwith supplementary agenda and on spot items)
- 7. निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-1
- 8. आचार्य अरविन्द कालिया, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, हि०प्र०वि० शिमला-5
- 9. आचार्य देव दत्त शर्मा, भुगोल विभाग, हि०प्र०वि० शिमला-5
- 10. आचार्य संजय सिंधु, अधिष्ठाता, विधि संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 11. आचार्या नीलिमा कंवर, अधिष्ठाता, भाषा संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 12. आचार्य प्रशांत गौतम, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सेक्टर—14, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ— 160 014
- 13. डॉ॰ बृज शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष Gastroenterology, IGMC शिमला-1
- 14. डॉ॰ विकास सिंह, सह—आचार्य, राजनीतिक शास्त्र विभाग, हि॰प्र०वि॰ शिमला—5
- 15. श्रीमती अरूणा भारद्वाज, प्राचार्य, रा.महाविद्यालय,कोटला खूर्व, जिला ऊना—174303 (alongwith supplementary agenda and on spot items)
- 16. श्री गीता राम, अनुभाग अधिकारी, हि०प्र०वि० शिमला—5 दिनांकः शिमला—5, **29 JUN** 2024

विषय:- कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2024 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही। महोदय/महोदया,

कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2024 की द्वितीय नियमित बैठक जो दिनांक 14.06.2024 को अपराहन 02:00 बजे कुलपित कार्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई की कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रेषित है।

> भवदीय, के कुलसचिव सदस्य-सचिव दिनांक: **१९ १ ३०० २०२५**

पृष्ठांकन संख्याः सम । प्रतिलिपि कार्यवाही की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित है:--

- 1. सचिव, कुलाधिपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल, हि.प्र. राज भवन, शिमला—2 (alongwith supplementary agenda and on spot items)
- 2. अधिष्ठाता अध्ययन / छात्र कल्याण / मुख्य छात्रपाल / निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं .मुक्त अध्ययन केन्द्र / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.वि., शिमला—5
- 3. समस्त संकायों के अधिष्ठाता / समस्त अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष, हि.प्र.वि., शिमला-5
- 4. संयुक्त परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग / उप-कुलसचिव (स्था.), हि.प्र.वि., शिमला-5
- 5. प्राचार्य, हि.प्र.वि. सांध्यकालीन अध्ययन विभाग, शिमला-1
- 6. सचिव-कुलपति / विशेष निजी सचिव-कुलपति, हि.प्र.वि., शिमला-5
- 7. प्रभारी, वैब—साईट, हि.प्र.वि., शिमला—5 को उपरोक्त कार्यवाही को विश्वविद्यालय वैब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
- 8. सहायक कुलसचिव (कुलपति कार्यालय), हि.प्र.वि., शिमला–5, शिमला–5
- 9. रक्षक मिसिल।

¥

# हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 'सामान्य प्रशासन शाखा'

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2024 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 14 जून, 2024 को अपराहन् 02:00 बजे आचार्य सत प्रकाश बंसल, माननीय कुलपति, हि.प्र. विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

- 1. आचार्य सत प्रकाश बंसल, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 2 आचार्य राजेन्द्र वर्मा, माननीय प्रति कुलपति, हि॰प्र०वि०, शिमला--5
- 3 श्री हरीश जनारथा, माननीय विधायक —विधान सभा, शिमला शहरी, हि०प्र०
- 4. श्री रोहित जमवाल, विशेष सचिव (वित्त) (नामांकित सदस्य प्रधान सचिव (वित्त)), हि०प्र० सरकार, शिमला—2
- 5. डॉ. हरीश कुमार, अतिरिक्त निदेशक (नामांकित सदस्य निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा ), हिमाचल प्रदेश संरकार, शिमला–1
- 6. आचार्य अरविन्द कालिया, कंप्यूटर विज्ञान विभाग, हि०प्र०वि० शिमला-5
- 7. आचार्य देव दत्त शर्मा, भुगोल विभाग, हि०प्र०वि० शिमला-5
- 8. आचार्य संजय सिंधु, अधिष्ठाता, विधि संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 9 आचार्य नीलिमा कंवर, अधिष्ठाता, भाषा संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला-5
- 10. आचार्य प्रशांत गौतम, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, सेक्टर—14, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ— 160 014
- 11. डॉ० बृज शर्मा, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष Gastroenterology, IGMC शिमला—5
- 12. डॉ॰ विकास सिंह, सह–आचार्य, राजनीतिक शास्त्र विभाग, हि॰प्र०वि॰ शिमला–5
- 13. श्री गीता राम, अनुभाग अधिकारी, हि०प्र०वि० शिमला-5
- 14. डॉ. विरेन्द्र शर्मा, हि.प्र.से., कुलसचिव, हि०प्र०वि० शिमला-5

मद संख्या-1: कुलपति महोदय का वक्तव्य।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष-2024 की द्वितीय नियमित बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ।

सर्वप्रथम मैं कार्यकारिणी परिषद् के निवर्तमान सदस्य डॉ. मनदीप शर्मा, प्राचार्य, जे.एन.एल. महाविद्यालय, हिरपुर, मनाली का कार्यकारिणी परिषद् की बैठकों में लिए गए निर्णयों में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ तथा उनके स्थान पर नियुक्त श्रीमती अरूणा भारद्वाज, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटला खुर्द, ऊना का कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य के रूप में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्टियाँ और कार्यशालाऐं आयोजित की गई: -

- 1. दिनांक 04 मार्च 2024 को रूसा की परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) वर्चुअल रूप में रूसा फंड के आबंटन, निकासी / पुनर्विनियोजन और निगरानी के संबंध में बैटक की अध्यक्षता की।
- 2. दिनांक 06 मार्च 2024 को विकास की खोजः हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू शहरों में अमृत के पद्चिन्ह पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्यअतिथि के रूप में भाग लिया।
- 3. दिनांक 07 मार्च 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष आचार्य एम. जगदीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपितयों के साथ विचार-विमर्श में भाग लिया।
- 4. दिनांक 08 मार्च 2024 को भारत सरकार के युवा मामलों के मंत्रालय के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 'मेरा पहला वोट देश के लिए'' अभियान के संबंध में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के साथ ऑन-लाईन बैठक में भाग लिया।
- 5. दिनांक 13 मार्च 2024 को टी.ई.पी.एल, गुजरात, टी.ई.पी.एल, असम तथा सी.जी.पी-ओ.एस.ए.टी, गुजरात में तीन सेमीकंडकटर सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई आधारिशला पर विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में यूट्यूब पर लाईव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम में भाग लिया।
- 6. दिनांक 15 मार्च 2024 को विकसित भारत@2047 विज़न डॉक्यूमेंट तथा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की तैयारी के लिए बहुमूल्य सुझाव मांगने के संबंध में उत्तरी क्षेत्र की बैठक कार्यक्रम में भाग लिया।



- 7. दिनांक 19 मार्च 2024 को विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय शोध-प्रविधि कार्यशाला एवं संकाय संवर्धन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 8. दिनांक 22 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन निदेशालय तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम ''अटल श्रेष्ट शहर योजना'' में भाग लिया।
- 9. दिनांक 22 मार्च 2024 को भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, न्यू-दिल्ली द्वारा विकसित भारत @2047 पर आयोजित ऑन-लाईन बैठक कार्यक्रम में भाग लिया।
- 10. दिनांक 26 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एवम् विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री शिव प्रताप शुक्ल जी के साथ विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के उद्देश्य से शिष्टाचार भेंट की।
- 11. दिनांक 26 मार्च 2024 को विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति और पीएम-यूएसएचए योजना के मेरू प्रोजेक्ट के लिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की।
- 12. दिनांक 26 मार्च 2024 को आयोजित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के बजट से संबंधित वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की।
- 13. दिनांक 03 अप्रैल 2024 को विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग द्वारा ''प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए कौशल विकास'' विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
- 14. दिनांक 27 मार्च 2024 को भारतीय साईबर अपराध समन्वय केन्द्र, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा साईबर अपराध की रोकथाम में छात्रों के मध्य व्यापक जागरूक्ता को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में साईबर स्वच्छता पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया।
- 15. दिनांक 30 मार्च 2024 को विश्वविद्यालयों के लिए विभिन्न यू.जी.सी पहलूओं तथा योजनाओं को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा की गई उत्कृष्ट गतिविधियों और यू.जी.सी के साथ लम्बे समय से लंबित मामलों पर चर्चा करने के लिए माननीय सचिव (यू.जी.सी.) की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपितयों के साथ ऑन-लाईन बैठक में भाग लिया।
- 16. दिनांक 30 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृति कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
- 17. दिनांक 07 जून 2024 को विश्वविद्यालय के आई.सी.डी.ई.ओ.एल. केन्द्र द्वारा विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में नए नामांकित छात्रों के लिए छात्र प्रेरण आयोजित ओ.डी.एल. माध्यम से संचालित कार्यक्रम में मुख्य-अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
- 18. दिनांक 17 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 15-16 जून 2024 को आयोजित होने जा रहा पूर्व छात्र संघ-90 के दशक के दशकीय अध्याय ''भव्य पुर्निमलन कार्यक्रम'' के संबंध में विश्वविद्यालय अधिष्ठाताओं, वैधानिक अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, निदेशकों, पूर्व छात्रों के अध्यक्ष तथा सचिव के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
- 19. दिनांक 31 मई 2024 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षक कर्मचारियों की सेवानिवृति कार्यक्रम के अवसर पर सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।
- 20. दिनांक 31 मई 2024 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन और विकास केन्द्र द्वारा आयोजित महिला एचीवर्ज फंक्शन-2024 कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री कृष्णा ताशी पाल्मो तथा सुश्री मीरा को मोटर चालित व्हीलचेयर प्रदान की गई।
- 21. दिनांक 11 जून 2024 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ऑन-लाईन माध्यम से आयोजित योजना एवम् विकास अधिकारी, उप-कुलसचिव तथा उप-पुस्तकालयाध्यक्ष की भर्ती एवम् पदोन्नित संबंधि बैठक की अध्यक्षता की।

अब मैं, विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह करता हूँ कि आज के लिए प्रस्तावित मदों को कार्यकारिणी परिषद् के सम्मुख रखते हुए चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।



मद संख्या-2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 22.02.2024 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 22.02.2024 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया तथा मद संख्या-3 के अन्तर्गत कुछ निर्णयों को निम्न प्रकार से संशोधित किया।

मद संख्या-3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 22.02.2024 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।

> कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठक दिनांक 22.02.2024 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदित किया:-

#### कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 26.12.2023

To place before the Executive Council the matter regarding release of the salary on monthly basis for further 6 months (1st October, 2023 to 31st March, 2024) in respect of Technical Manpower engaged/ hired on outsource basis in order to accomplish the remaining work of ERP Phase-II and to continue the smooth functioning of various

To place before the Executive Council the matter regarding release of the salary on monthly basis for further 6 months (1st Oct, 2023 to 31st March, 2024) in respect of 2 Nos. (One Clerk & One Peon) of Manpower engaged/ hired on outsource basis & presently deputed in Department of Computer Science & Department of Population Studies, ICDEOL respectively.

implemented modules of ERP/ MSM in the University through Computer Centre.

The Executive Council was apprised that in its last meeting held on 29.08.2023 the Council had approved to extend the period of engagement of all the outsourced manpower upto 30th Sept., 2023. The matter of continuation of the services of all the outsourced manpower in the University was discussed and after detailed deliberations the following decisions were taken:

- 1- The decision under these items will be applicable to all the outsourced manpower.
- 2- The services of the outsourced manpower be extended upto 31st March, 2024 and their dues be cleared.
- 3- The Secretary (Education) raised the following issues and desired that a detailed report on the following issues be placed before the next meeting of the Executive Council/ Finance Committee:-
  - (i) Total number of outsourced manpower engaged (Department wise in tabular form).
  - (ii) The justification for engagement of existing manpower as on date.
  - (iii) The requirement of manpower for future alongwith justification.(iv) The approval of the competent authority obtained while engaging
- manpower be also intimated.

  5- A Committee of the following is constituted to submit report on the aforesaid issues:
  - Pro Vice-Chancellor
     Dean Planning & Teacher Matters
     Registrar
     Chairman
     Member
     Member
  - 4. Incharge -Computer Centre

-Computer Centre - Convener

the

संशोधित निर्णय:-

निर्णय:

The Executive Council decided to extend the services of the outsourced manpower upto 30<sup>th</sup> June, 2024 and further ordered that the committee constituted for the purpose may submit its report before 31.03.2024.

निर्णय:- The Executive Council directed the committee constituted to examine the cases of outsourced manpower to submit its report at the earliest and the same be placed in next meeting of the Executive Council.

.......

### माननीय विधायक एवं सदस्य कार्यकारिणी परिषद् श्री हरीश जनारथा जी द्वारा प्राप्त यथा स्थान प्रतिवेदन

- 3. Request of Prof. Neelima Kanwar, Deptt. of Engish for Merger/ permanent absorption in the PG Centre (Department of English).
- 4. Application from Dr. Daisy Verma for merger from Regional Centre, HPU, Dharamshala to the Deptt. of English, PG Centre, Shimla.

निर्णयः Since the item was related to Prof. Neelima Kanwar so she left the Hall and recused herself from this item. The Council approved the merger of Prof. Neelima Kanwar and Dr. Daisy Verma in the Deptt. of English, PG Centre, HPU. However, they will be placed at the bottom of their respective category in the seniority list.



संशोधित निर्णय:- The Executive Council decided to transfer one post from Deptt. of English, Regional Centre Dharamshala to PG Centre, HPU, Shimla and approved the merger of Dr. Daisy Verma against the said post.

संशोधित निर्णय:- The Executive Council decided that a general notification be issued that whosoever will get merged in the University /Department/ Institutes of the University, in future, will be placed at the bottom of the seniority list of that category.

#### कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 22.02.2024 यथा स्थान प्रतिवेदनः-

2- Making provision for eligible college teachers to act as External Examiner for UG/ PG Practical Examinations.

निर्णयः The Council directed that the list of eligible teachers be obtained from the Director Higher Education and thereafter, a pool of eligible teachers be formed by University for engagement as external examiner on need and specialization basis.

संशोधित निर्णय:- The Executive Council was apprised that the matter has not been taken up with the Director of Higher Education so far. The Executive Council decided that Dean of Studies will process the matter at the University level and thereafter the Registrar will correspond with Director, Higher Education to process the matter further.

#### यथा स्थान चर्चाऐं:-

- 2. माननीय विधायक श्री हरीश जनारथा जी ने कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष DIS (IIHS) के कर्मचारियों की पदोन्नित का मामला रखा। कार्यकारिणी परिषद् ने गहन विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया की DIS के कर्मचारियों के लिए एक अलग कॉडर बनाया जाए और उस कॉडर के अन्तर्गत DIS के कर्मचारियों को पदोन्नित दी जाए। विशेष सचिव (वित्त) के सुझावानुसार यह तय किया गया की कॉडर एवं पदोन्नित से पूर्व निम्निलिखित शर्तों को पालन किया जाए:-
- (i) पदोन्नति, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत की जाए।
- (ii) मामलें में वित्त समिति का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाए।
- (iii) अनुमोदन उपरान्त पदोन्नति प्रत्याशित प्रभाव (prospective effect) से दी जाए।

निर्णय:- Shri Harish Janartha, Hon'ble Member, Executive Council informed the Council that this matter needs to be discussed again, in view of the representation submitted by him. Registrar-cum-Member Secretary informed the Council that the State Vigilance and Anti Corruption Bureau has sought information related to this matter and the same is yet to be submitted to the State Vigilance and Anti Corruption Bureau. Registrar also informed that a number of representations have been received from students requesting therein to withdraw the notification No. 7-1/2024-HPU(Acad.) dated 29.05.2024. After detailed deliberations it was decided that the matter needs to be examined threadbare by a High Powered Committee. Meanwhile, the decision taken by Executive Council with respect to nomenclature of staff of Department of Interdisciplinary Studies (DIS) in its previous meeting be held in abeyance. Also, the notification No. 7-1/2024-HPU(Acad.) dated 29.05.2024 will not be implemented.

Accordingly, it was decided to constitute a High Powered Committee as under:-

Prof. Neelima Kanwar - Chairperson (EC Member)

Prof. Mamta Mokta
 Prof. S.L. Kaushal
 -Member
 -Member

3. Prof. S.L. Kaushal - I
(Dean, Environmental
Development and
Sustainability Studies)

4. Prof. Aparna Negi - Member
5. Prof. Sunil Deshta - Member

DR (Teaching)
 Convener (for academic aspects of the matter)
 DR (Estt.)
 Convener (for Establishment aspects of the matter)

This committee will examine the issue of change of nomenclature of staff of Department of Interdisciplinary Studies (DIS) and issuance of Ph.D. Degree in Rural Development by Department of Interdisciplinary Studies (DIS) and Department of Life Long Learning. The Committee will submit its report shortly.

4. कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष लाया गया की विश्वविद्यालय में पटवारी का एक पद रिक्त है जिसके कारण बहुत से कार्यों में विलम्ब हो रहा है। समिति ने प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सेवानियृत पटवारी रखने (engage) की अनुमित प्रदान की। समिति ने कुलपित कार्यालय में एक photographer को अस्थायी तौर पर रखने (engagement) की भी अनुमित प्रदान की जिसकी शर्ते प्रदेश सरकार के मापदंड अनुसार विश्वविद्यालय तय करे।

संशोधित निर्णयः- कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के नियमित photographer ने विश्वविद्यालय में अपना कार्यग्रहण कर लिया है अतः इस पद को अब अस्थायी तौर पर भरने की आवश्यकता नही है तथा पटवारी के रिक्त पद पर सेवानिवृत पटवारी को engage करने हेतु प्रक्रिया तुरन्त अमल में लाई जाए।

5. कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय में लिम्बत CAS के मामलों को UGC Regulation 2018 के अनुसार प्रदेश सरकार के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शीघ्र पत्राचार करने के आदेश पारित किए। जो शिक्षक UGC Regulation 2010 के तहत पदोन्नित के लिए योग्य हैं उनकी प्रक्रिया को कुलसचिव कार्यालय को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

संशोधित निर्णय:- कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया गया की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण CAS के लिम्बत मामलों पर कार्रवाई नहीं कि जा सकी। कार्यकारिणी परिषद् ने निर्देश दिए कि अब आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है अतः CAS पदोन्नित के मामलों का निस्तारण शीघ्र किया जाए।

6. कार्यकारिणी परिषद् सदस्य श्री गीता राम जी ने परिषद् को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षक कर्मचारियों के विज्ञापित पदों पर भर्तियाँ नहीं की जा रही है जबिक प्रत्येक माह विश्वविद्यालय से गैर-शिक्षक कर्मचारी व अधिकारी सेवा निवृत हो रहे हैं, अतः विश्वविद्यालय द्वारा गैर-शिक्षक कर्मचारियों के विज्ञापित पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाना चाहिए। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने गहन विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों को पुनः विज्ञापित करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए नियमानुसार अनुमित हेतु मामला तैयार किया जाए।

संशोधित निर्णयः-कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर गहन विचार कर निर्णय लिया कि गैर-शिक्षक कर्मचारियों के पदों को भरे जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर 2 माह के भीतर वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसके अतिरिक्त परिषद् ने सभी outsource कर्मचारियों को 2 माह (31.08.2024 तक) का सेवा विस्तार प्रदान किया।

# कार्यकारिणी परिषद् की नियमित मदें:-

मद संख्या-4 : कुलपित महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12-C(7) में निहित शिक्तयों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने हेतु।

कुलपति महोदय ने उपरोक्त निहित शक्तियों के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

<u>मद संख्या-5</u> कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त बारे।

कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयाविध के भीतर कोई मद प्राप्त नहीं हुआ है।

To place before the Executive Council the matter to allow last chance to all such students of last session of M.Phil. (2020-21) to complete their degree who have not passed the course work and also to those students who have so far not submitted their dissertation.

The Executive Council considered the case of students of M.Phil. session 2020-21 and decided to grant 6 months to complete dissertation work and last chance to complete the course work on payment of Rs. 5,000/- over and above the M.Phil. fee.

1

निर्णयः

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा संचालित समस्त भारतवर्ष में स्थापित मद संख्या-7: विकास केन्द्र UGC-Human संसाधन (यूजीसी-मानव Development Centre (HRDC) का नाम बदल कर (यूजीसी–मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला—5) UGC-Malaviya Mission Teacher Training Centre (MMTTC), Himachal Pradesh University, Shimla-5 एवं दिशानिर्देशों का कार्यान्वन किए जाने की अनुमति। निर्णय: अनुमोदित। To place before the Executive Council the recommendations of मद संख्या-8: the committee dated 21.02.2024 vide 'Annexure-A' for its kind perusal and orders in the mater as deemed fit. निर्णयः The Executive Council decided that the college be directed to clear the outstanding payment/ dues i.e. application fees, Inspection fees, affiliation fees, late fees and GST within a month. Once the dues are cleared, the instant matter be placed before the next meeting of the Executive Council. मद संख्या-9: To place before the Executive Council the matter of increasing the financial assistance amount admissible to the students of the University under student aid fund (SAF) belonging to IRDP/BPL category for consideration and decision. निर्णयः The Executive Council approved the proposal and directed that the matter be placed before the Finance Committee. To place before the Executive Council the guidelines framed मद संख्या-10: by the Committee constituted under the Chairmanship of the Dean Students' Welfare for its approval to implement Mukya Mantri Sukh Ashrya Scheme alongwith guidelines for the allotment of 8 seats (4 Boys and 4 Girls) in the University Hostels from the academic session 2024-25. निर्णयः Approved. To place before the Executive Council the matter regarding मद संख्या-11: sponsoring of panel of ten experts in place of six experts for ratification/approval. The Executive Council decided that the decision to निर्णयः submit panel of 10 experts in place of 6 experts will be applicable w.e.f. 10.01.2024 i.e. date of issuance of Cases submitted before 10.01.2024 will be circular. processed on the basis of panel of 6 experts. अनुपूरक मर्दे:-To place before the Executive Council recommendations of the मद संख्या-1: Selection Committees for the post(s) of Assistant Professors in the subject of Law and MBA as also for the post of Senior Professor under CAS in the subject of Computer Science for which the interviews were held on 25.05.2024 and 27.05.2024 for consideration and approval. After perusal of the sealed envelopes containing the निर्णयः

Selection

Executive Council has approved the names of the following candidates for appointment to the post of

of

recommendations

**Assistant Professor:-**

Committee,

J.

- (I) The University Institute of Legal Studies (UILS), HP University, Shimla-4
  - (1) Ms. Aastha Agnihotri (UR)
  - (2) Ms. Sangeeta Thakur (UR)

The Executive Council decided that the matter of three advance increments in favour of Ms. Sangeeta Thakur as recommended by the Selection Committee be taken up with Secretary (Law) through administrative department for clarification and the matter be decided accordingly.

(II) The HP University Regional Centre Dharamshala

The Selection Committee found the candidate not suitable for appointment to the post of Assistant Professor (Law) in the category of UR (Ex. Servicemen).

(III) The HP University Business School, HP University, Shimla-5

The Selection Committee did not find any candidate suitable for appointment to the post of Assistant Professor (MBA) in category of EWS.

(IV) The HP University Regional Centre Dharamshala

The Selection Committee recommended the name of the following candidate for appointment to the post of Assistant Professor in MBA in the following categories:-

- 1- Mr. Yatharth Vaidya, EWS.
- 2- Dr. Gurdev Singh Thakur, UR (Ex-Servicemen).
- 3- Mr. Gaurav Katoch, (UR).
- (V) The Executive Council endorsed/ approved the recommendations of the Selection Committee in respect of Prof. Arvind Kalia for promotion from the post of Professor (Academic Level-14) to Senior Professor under CAS (Academic Level-15) in the Department of Computer Science from due date. During the discussion on the item Prof. Arvind Kalia left the meeting. The financial benefits on account of upward movement from level 14 to 15 will be put up before next meeting of the Finance Committee for consideration and approval.

## यथा स्थान मदें:-

मद संख्या-1:

To place before the Executive Council the decision of the Project Monitoring Unit (PMU) of Rashtriya Uchcatar Shiksha Abhiyan (RUSA) taken vide item No. 10, sub serial number (iii) under title 'Any Other Item with permission of the Chair' in its meeting held on 04th March, 2024 (under the Chairmanship of Hon'ble Vice-Chancellor) for kind approval.

निर्णयः

Approved. The Executive Council decided to increase the imprest amount from Rs. 1,000/- (Rs. One thousand) to 3,000/- (Rs. Three thousand).

1

मद संख्या-2:	कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष हि॰प्र॰ विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, धर्मशाला में का अतिथि संकाय के प्राध्यापकों की बकाया राशि रू. 42,53,000 / — देने बारे।	
निर्णयः	The Executive Council decided that the matter examined by the Finance Officer and thereafter matter be placed before the Executive Council consideration.	
	Topical of alread arout momentage description	
मद संख्या-3:	To place before the Executive Council the matter regardice validity/ reconstitution of the High-Power Committee constituted to examine the case in respect of Dr. Arvin Kumar Bhatt, Professor, Deptt. of Bio-Technology of placement in senior scale (PB-2) and (PB-3).	
निर्णयः	The Executive Council decided to constitute a free committee of the following to examine the matter:  1. Prof. D.D. Sharma - Chairman  2. Prof. Neelima Kanwar - Member  3. Dean of Studies - Member  4. Finance Officer - Finance Officer  5. Deputy Registrar (Estt.) - Convener	
मद संख्या-4:	To place before the Executive Council the matter consideration & approval of purchases of Heavy Movehicles (Buses & Secrecy Van).	
निर्णयः	The matter was discussed threadbare and after detail discussion the Executive Council approved to purch Heavy Motor Vehicles (Buses & Secrecy Van) die engine/petrol vehicles against condemned vehicles.	
मद संख्या-5ः	To place before the Executive Council the matter with reg to renewal of rent agreement and enhancement in ren	
	Shops Situated in the University Campus.	
निर्णयः	The Executive Council approved the enhancement of race of and further directed that rent agreement may be renew accordingly for further 3 years.	
निर्णयः मद संख्या-6ः	The Executive Council approved the enhancement of r  @ 5% per annum for shops situated in University came and further directed that rent agreement may be reneval accordingly for further 3 years.  To place before the Executive Council the recommendation	
	The Executive Council approved the enhancement of r  @ 5% per annum for shops situated in University came and further directed that rent agreement may be renew accordingly for further 3 years.  To place before the Executive Council the recommendation the HP University Non-Teaching Employees Welfare For Committee meeting held on 18.01.2024.	
मद संख्या-6ः	The Executive Council approved the enhancement of race 5% per annum for shops situated in University campand further directed that rent agreement may be renew accordingly for further 3 years.  To place before the Executive Council the recommendation the HP University Non-Teaching Employees Welfare Further States.	

# यथा स्थान चर्चाऐं:-

 भर्ती एवं पदोन्नित समिति की योजना एवं विकास अधिकारी, उप—कुलसचिव और उप—पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नित हेतु दिनांक 11.06.2024 को 04:30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही, समिति के निर्णय अनुसार कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुतः—

निर्णय :— संलग्नकानुसार अनुमोदित। कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि आर्दश आचार संहिता लागू होने के कारण लिम्बत पदोन्नित देय तिथि से ही इस शर्त के साथ लागू होंगी की पदोन्नित के देय वित्तिय लाभ सांकेतिक (notional) आधार पर दिए जाएंगे और आदेश जारी होने के उपरांत वास्तविक आधार (actual basis) पर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पदोन्नित से लामान्वित अधिकारियों से शपथ पत्र (affidavit) लिया जाएंगा।

2. चर्चा के दौरान कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से MERU (मेरू) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान राशि रू० सौ करोड़ के उपयोग के लिए शीध्रातिशीध्र योजना तैयार की जाए और आबंटित राशि का व्यय किया जाए। यदि विश्वविद्यालय अपनी श्रमशक्ति के अभाव के कारण आबंटित राशि को व्यय करने में असमर्थ हो तो किसी बाहय एजेंसी/विशेषज्ञ को hire किया जाए। इसके अतिरिक्त परिषद् ने यह भी निर्णय लिया की विश्वविद्यालय के घणाहट्टी में प्रस्तावित दूसरे कैंपस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने हेतु किसी बाह्य एजेंसी/ विशेषज्ञ को hire कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) शीध्र तैयार करवाई जाए।

अन्त में कुलसचिव के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्त हुई।

गुष्टिकरण 🗸

(आचार्य सत प्रकाश बंसल) कुलपति/सभापति ्री कुलसर्चिव सदस्य-सचिव 10- रात्र ने भेगा ने निर्मा 1

## हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय) समरहिल शिमला -171005

भर्ती एवं पदोन्नित समिति की योजना एवं विकास अधिकारी, उपकुलसचिव और उप- पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नित हेतु दिनांक 11.06.2024 को 04:30 बजे हुई बैठक की कार्यवाही।

भर्ती एवं पदोन्नित समिति की योजना एवं विकास अधिकारी, उपकुलसचिव और उप- पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर पदोन्नित हेतु बैठक दिनांक 11.06.2024 को 04:30 बजे आचार्य सत प्रकाश बंसल, माननीय कुलपित, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सिमित कक्ष में ऑनलाइन मोड के माध्यम से सम्पन्न हुई जिस में निम्निलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1.	आचार्य राजिन्द्र वर्मा, प्रति कुलपति	सदस्य
2.	आचार्य बालकृष्ण शिवराम, अधिष्ठाता अध्ययन	सदस्य
3.	आचार्य श्याम लाल कौशल, परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
4.	आचार्य जीत राम शर्मा, संगीत विभाग	सदस्य
5.	आचार्य उमेश कुमार, पुस्तकालय प्रभारी	सदस्य
6.	डा. वीरेन्द्र शर्मा, कुलसचिव	संयोजक

बैठक में सर्वप्रथम संयोजक/ कुलसचिव महोदय ने सभी सदस्यों का स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय से कार्यवाही शुरू करने की अनुमति उपरान्त भर्ती एवं पदोन्नित समिति के प्रस्तावित मद पर विचार विमर्श किया और अपनी अनुशंसा निम्न प्रकार से प्रदान की :-

मद संख्याः—1: योजना एवं विकास अधिकारी in Level-30 of HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 के पद पर पदोन्नित का मामला भर्ती तथा पदोन्नित समीति के समक्ष रखने हेतु।

चयन के सिद्धान्त और विचारार्थ परिक्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को दृष्टिगत रखते हुए सिमित ने श्री अमर सिंह, उप कुलसचिव की योजना एवं विकास अधिकारी के पद पर उनके पिछले 4 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के नियमानुसार सही पाए जाने के उपरान्त, श्री देवी राम, योजना एवं विकास अधिकारी की दिनांक 30.04.2024 को हुई सेवानिवृति के फलस्वरूप उपलब्ध हुए पद के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2024/देय तिथि से पदोन्नति की संस्तुति की गयी | क्यूंकि लोक सभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के कारण भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक देय तिथि से आयोजित नहीं हो सकी थी। इसी सन्दर्भ में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र सं0 4-78/81-GS दिनाँक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं0 GAD-C(PA)-D(7)-4/2024

दिनाँक 04.05.2024, जिसमें CWPOA No. 6100 of 2020 - Satinder Kumar Vs. Registrar CSK, HP Krishi Vishav Vidayalaya के अन्तर्गत माननीय उच्च नयायालय द्वारा दिये गए निर्णय को मध्यनजर रखते हुए उक्त अधिकारी को देय तिथि से पदोन्नित प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इसकी संपृष्टि हेतु मामले को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में सामान्य पदोन्नित के लिए प्रथा न माना जाए। सिमिति ने यह भी पारित किया कि उक्त अधिकारी श्री अमर सिंह, उप कुलसचिव से इस आशय का शपथ पत्र पदोन्नित के कार्यालय आदेश जारी होने से पूर्व लिया जाये कि भविष्य में यदि कोई विवाद देय तिथि से पदोन्नित प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था में उक्त पदोन्नित तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

मद संख्याः—2: उप—कुलसचिव in Level-24 of HPCS (Revised Pay) Rules, 2022 के पद पर पदोन्नति का मामला भर्ती तथा पदोन्नति समीति के समक्ष रखने हेतु।

चयन के सिद्धान्त और विचारार्थ परिक्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को दृष्टिगत रखते हुए समिति ने श्रीमित सावित्री देवी, सहायक कुलसचिव की उपकुलसचिव के पद पर उनके पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के नियमानुसार सही पाए जाने के उपरान्त, श्री अमर सिंह, उपकुलसचिव की, योजना एवं विकास अधिकारी के पद पर दिनाँक 01.05.2024 से होने वाली पदोन्नति के फलस्वरूप होने वाले रिक्त पद के अन्तर्गत दिनांक 02.05.2024/देय तिथि से पदोन्नति की संस्तुति की गयी। क्यूंकि लोक सभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के कारण भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक देय तिथि से आयोजित नहीं हो सकी थी। इसी सन्दर्भ में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र सं0 4-78/81-GS दिनाँक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं0 GAD-C(PA)-D(7)-4/2024 दिनाँक 04.05.2024, जिसमें CWPOA No. 6100 of 2020 - Satinder Kumar Vs. Registrar CSK, HP Krishi Vishav Vidayalaya के अन्तर्गत माननीय उच्च नयायालय द्वारा दिये गए निर्णय को मध्यनज़र रखते हुए उक्त अधिकारी को देय तिथि से पदोन्नति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इसकी संपृष्टि हेतु मामले को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में सामान्य पदोन्नति के लिए प्रथा न माना जाए। समिति ने यह भी पारित किया कि उक्त अधिकारी श्रीमित सावित्री देवी, सहायक कुलसचिव से इसं आशय का शपथ पत्र पदोन्नति के कार्यालय आदेश जारी होने से पूर्व लिया जाये कि भविष्य में यदि कोई विवाद देय तिथि से पदोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था में उक्त पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

मद संख्या:—3ः उप—पुस्तकालयाध्यक्ष in Academic Level-12 of Pay Matrix( UGC Pay Scale) के पद पर पदोन्नति का मामला भर्ती तथा पदोन्नति समीति के समक्ष रखने हेतु।

चयन के सिद्धान्त और विचारार्थ परिक्षेत्र में आने वाले अधिकारियों को दृष्टिगत रखते हुए सिमित ने श्री हेम शंकर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर उनके पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के नियमानुसार सही पाए जाने के उपरान्त, श्री दिनेश शर्मा, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष की दिनांक 31.03.2024 को हुई सेवानिवृति के फलस्वरूप उपलब्ध हुए रिक्त पद के

अन्तर्गत दिनांक 01.04.2024/देय तिथि से पदोन्नति की संस्तुति की गयी। क्यूंकि लोक सभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के कारण भर्ती एवं पदोन्नति समिति की बैठक देय तिथि से आयोजित नहीं हो सकी थी। इसी सन्दर्भ में सचिव, राज्यपाल सचिवालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र सं0 4-78/81-GS दिनाँक 08.05.2024 द्वारा प्रेषित मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं0 GAD—C(PA)-D(7)-4/2024 दिनाँक 04.05.2024, जिसमें CWPOA No. 6100 of 2020 - Satinder Kumar Vs. Registrar CSK, HP Krishi Vishav Vidayalaya के अन्तर्गत माननीय उच्च नयायालय द्वारा दिये गए निर्णय को मध्यनज़र रखते हुए उक्त अधिकारी को देय तिथि से पदोन्नित प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि इसकी संपुष्टि हेतु मामले को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में सामान्य पदोन्नित के लिए प्रथा न माना जाए। समिति द्वारा यह भी पारित किया गया कि श्री हेम शंकर सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष की उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नित, श्री विकास सहगल, विरष्ठ व्यवसायिक सहायक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0 OA 3433/2018 और CWPOA 4603/2020 के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी। इसके साथ यह भी पारित किया कि उक्त अधिकारी से इस आशय का शपथ पत्र पदोन्नित के कार्यालय आदेश जारी होने से पूर्व लिया जाये कि भविष्य में यदि कोई विवाद देय तिथि से पदोन्नित प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्पन्न होता है, तो उस अवस्था में उक्त पदोन्नित तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बैठक के समापन पर कुलसचिव एवं संयोजक ने माननीय अध्यक्ष महोदय व अन्य सभी माननीय सदस्यों द्वारा बैठक के सफल आयोजन तथा उन द्वारा प्रदत्त बहुमूल्य सुझावों के प्रति उनका धन्यवाद किया।

वीरेन्द्र शर्मा

3

र्याम लाल कौशल

उमेश कुमार

बालकृष्ण शिवराम

जीत राम शर्मा

राजिन्द वर्मा

(आचार्य सत प्रकाश बंसल) कलपति/अध्यक्ष